कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 60 राँची : 16.1.2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा– बगड़ू में बॉक्साइड खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 4048 दिनांक 16.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगड़ू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/155456/2022) की समीक्षोपरांत तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। उक्त पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 2138 दिनांक 27.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

क्रम सं0	राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदा0 का टिप्पणी
1.	CWLW का मंतव्य	Bagru Bauxite mine is located in village-Bagru, Tehsil-Kisko, District-Lohardaga, Jharkhand. The mine is far away from the ESZ boundary of Mahuadanr Wolf Sanctuary. Moreover, as per letter No. 728 datet 08.08.2024 by PCCF-ED, it is clearly mentioned in point no- 20 that there is no Wildlife Sanctuary within 10 km radius of Bagru Mine.	CWLW का मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 994 दिनांक 30.08.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
2.	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चिन्हित गैर वनभूमि का जमीन किस्म।	The land status for Compensatory Affoestation for diversion proposal is private land (Tand-iii, Don-ii etc.). The Certificates from AC of Palamau and Gumla are being attached for your ready reference as Annexure-I	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित छायाप्रति संलग्न। (Annexure-I)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का अंश तथा वर्तमान	Earlier the Forest Diversion proposal for Bagru mine was applied offline in 2005 for 19.56 ha area. Out of that 9.87 ha area was broken before 1980. Therefore, after discussion with DFO Lohardaga	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित छायाप्रति संलग्न। (Annexure-I)

	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि एक ही है। यदि हाँ, तो पर्व में समर्पित प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव क्यों समर्पित किया गया तथा क्या नया प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व पुराने प्रस्ताव को Withdraw किया गया ?	again we have applied online in Parivesh Portal for 9.69 ha area only excluding 9.87 ha broken area before 1980. Therefore, the earlier application has been treated as cancelled (Please see Annexure-II)		

अतएव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला द्वारा प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ सानुलग्नक सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त निराकरण प्रतिवेदन पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त।
निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन,

15/01/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

434

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

LiFE Lifestyle for Environment

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cfgumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592

पत्रांक 2138 / दिनांक 27/12/2024/

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा– बगडू में बॉक्साइड खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– भवदीय का पत्रांक 973 दिनांक 29.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 1991 दिनांक 19.12.2024 से वाँछित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को 06 (छः) प्रतियों में उपलब्ध कराया है, जिसकी 05 (पाँच) प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

3019
30/12/2024

आपका विश्वासी,

27/12/2024
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

(43)

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfo-lohardagga@gov.in Ph. & Fax - 06526 – 224285 /359028

पत्रांक 1991 / लो0, दिनांक 19.12.2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा–बगडू में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टी जोन एरिया सम्मिलित) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– भवदीय का ज्ञापांक 1971 दिनांक 23.11.2024 एवं विभागीय पत्रांक 4048 दिनांक

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित की जा रही है:–

1	CWLW का मंतव्य।	CWLW से संबंधित।
2	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चिन्हित गैर वन भूमि का जमीन किस्म।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित छाया प्रति संलग्न। (Annexure-I)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का अंश तथा वर्तमान प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि एक ही है। यदि हाँ, तो पूर्व में समर्पित प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव क्यों समर्पित किया गया तथा क्या नया प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व पुराने प्रस्ताव को Withdraw किया गया ?	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित छाया प्रति संलग्न। (Annexure-II)

अनु०: यथोक्त।

कार्यालय वन संरक्षक 2942 27/12/24 प्रादेशिक अंचल, गुमला

आपका विश्वासी,

19/12/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

Rsg. Ms Hindalco 9.69 Ha (7.52+

(432)

ADITYA BIRLA

HINDALCO

Ref: HIL/JH/Bag/**1019**

Date: 28.11.2024

To,
The Divisional Forest Officer (DFO)
Lohardaga,
Jharkhand, Ranchi.

SUB: Proposal for Bagru Forest clearance for 9.69 ha area, Dist – Lohardaga, Jharkhand

Ref: Letter no. वनभूमि – 30/2024 – 4048 व० प० Ranchi dated 16.10.2024 issued by Department of Forest, Environment and Climate Change, Govt. of Jharkhand.

SIR,
With reference to the letter no: Vanbhumi – 30/2024 – 4048 dated 16.10.2024 received from your good office, please find below the point wise reply for the same:

1. Bagru Bauxite mine is located in Village-Bagru, Tehsil-Kisko, District-Lohardaga, Jharkhand. The mine is far away from the ESZ boundary of Mahuadanr Wolf Sanctuary. Moreover, as per letter No. 728 dated 08.08.2024 by PCCF – ED, it is clearly mentioned in point no – 20 that there is no Wildlife Sanctuary within 10 km radius of Bagru Mine.

2. The land status for Compensatory Afforestation for diversion proposal is private land (Tand-iii, Done-ii etc.). The Certificates from AC of Palamau and Gumla are being attached for your ready reference as **Annexure – I**.

3. Earlier the Forest Diversion proposal for Bagru mine was applied offline in 2005 for 19.56 ha area. Out of that 9.87 ha area was broken before 1980. Therefore, after discussion with DFO, Lohardaga, again we have applied online in Parivesh Portal for 9.69 ha area only excluding 9.87 ha broken area before 1980. Therefore, the earlier application has been treated as cancelled (**Please see Annexure – II**).

2406
29/11/24

Thanking You,

Sincerely Yours,

29/11

(Basudev Gangopadhyay)
Hindalco Industries Ltd

Encl: As above

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी
प्राप्तांक 2483
दिनांक 29-11-24
लोहरदगा वन प्रमण्डल

(413)

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्र संख्या :– 994 राँची, दिनांक 30/08/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–बगरू, भुसार एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका कार्यालय ज्ञापांक 728 दिनांक 08.08.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत प्रस्ताव में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः–

"प्रस्तावित स्थल बगरू, भुसार एवं हिसरी संरक्षित क्षेत्र के अंदर है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र कुल खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर पहले से खनन किए गए क्षेत्र से सटा हुआ है, जिसका घनत्व लगभग 0.3 है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। इस क्षेत्र में तेंदुआ, लकड़बग्घा, खरगोश, साही, हिरण, भालू, सियार, किंग कोबरा, वाइपर, अजगर, कराईत एवं अजगर सांप जैसे वन्यप्राणी पाये जाते है।

अतः खनन के कारण वन एवं वन्यप्राणियों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए Site Specific Wildlife Conservation and Management Plan का निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना अपेक्षित होगा।"

विश्वासभाजन

30/8/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

कार्यकारी निदेशक ... कार्यालय सं. 2088 दिनांक 05/9/2024

D:\Pandey\letter 3